मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 08.2013

क्रमांक एफ 16–11/2013/बी/ग्याहर मेसर्स ऐक्सिस ओवरसीज लि. का लगभग रू 49 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से ग्राम–बरडावदा तहसील–सिंगोली, जिला–नीमच में जूट फेब्रिक के निर्माण परियोजना के प्रस्ताव के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्ययोजना, 2010 (यथा संशोधित, 2012) अंतर्गत टेक्सटाईल उद्योगों के लिये विशेष पैकेज अंतर्गत निम्नानुसार निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे :–

(1). **ब्याज अनुदानः–** 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों के लिये।
(2). **उद्योग निवेश संवर्धन सहायताः–** उत्पादन दिनांक से 8 वर्षों के लिये, जो इकाई द्वारा इस योजना के परिप्रेक्ष्य में मान्य प्लान्ट एवं मशीनरी पर किये गये पूंजी वेष्ठन तक सीमित होगा।
(3). **प्रवेश कर से छूटः–** प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 5 वर्षो के लिये।
(4). **भूमि आवंटनः–** परियोजना को औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि का आवंटन राजस्व विभाग एवं वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के प्रचलित नियमों के अंतर्गत किया जावे।
(5). कम्पनी की अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ क्रमांक एफ 16–11/2013/बी–ग्यारह, **भोपाल, दिनांक** 03 **08.2013**
प्रतिलिपि,

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/राजस्व विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि./एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल। कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।
5. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
6. कलेक्टर, नीमच।
7. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, उज्जैन।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लि., उज्जैन।
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच।
10. श्री राजेश शर्मा, संचालक, मेसर्स ऐक्सिस ओवरसीज लि., 70, गोल्फ लिंक्स, द्वितीय तल, नई दिल्ली–110003 कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन